UPEW010041252025

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah
पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)–** UP01632

Special Sessions Case/1070/2025
State of UP Vs. Ramgopal

मु०अ०सं०– 1845/2022
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना– ए.पी.टी., जिला–इटावा।

दिनांकः 17.04.2026

1. पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या के साथ पेश हुई। अभियुक्त रामगोपाल की ओर से प्रार्थना पत्र 13 ख/1 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थी उपरोक्त वाद में अभियुक्त है। प्रार्थी विद्युत विभाग का समस्त धन जमा कर चुका है। प्रार्थी के ऊपर अब कोई शेष धनराशि बकाया नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमा उपरोक्त समाप्त किये जाने की याचना की गयी है।

2. उपर्युक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) की ओर से अपनी आख्या अंकित कर कथन किया गया है कि अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं०–4176, दिनांकित 18.07.2025 के अनुसार शमन शुल्क 2,000/–रुपये एवं राजस्व शुल्क 27,510/–रुपये दिनांक 17.07.2025 को जमा कर दिया है। अदेयता प्रमाण पत्र दाखिल है। सुलह/समझौता केन्द्र की आख्यानुसार वाद निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है।

3. उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

4. अवलोकन से विदित है पक्षकारों के मध्य समझौता होने की सम्भावना पर पत्रावली दिनांक 31.03.2026 को समझौता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा भेजी गयी थी।

5. आज पत्रावली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या एवं Settlement Agreement के साथ प्राप्त हुई। उक्त Settlement Agreement में अंकित है कि द्वितीय पक्ष पर उक्त प्रकरण के बावत जो भी बकाया था वह द्वितीय पक्ष ने विद्युत विभाग को अदा कर दिया है तथा प्रथम पक्ष की ओर से अदेयता प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी भुगतान बकाया नहीं है। प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.04.17 16:39:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विरूद्ध लंम्बित वाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश(ई0 सी0 एक्ट),इटावा वाद संख्या 1070/2025 राज्य बनाम रामगोपाल अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने में प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है।

6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा की आख्या एवं Settlement Agreement के अनुसार अभियुक्त की ओर से धनराशि जमा की जा चुकी है। अब कोई धनराशि देय नहीं है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष द्वारा वाद संख्या 1070/2025 राज्य बनाम रामगोपाल अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम की कार्यवाही समाप्त किये जाने में सहमति व्यक्त की गयी है।

7. प्रस्तुत प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत शमनीय है। अतः न्यायहित में विशेष वाद शमन किये जाने योग्य है।

आदेश

8. अभियुक्त रामगोपाल के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा–152 के आधार पर शमन करते हुये, विशेष वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुरूप अभियुक्त रामगोपाल को धारा–135 विद्युत अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, अभियुक्त का बन्धपत्र निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०),इटावा।
J.O. CODE : UP01632